प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– बरेली।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एस0एस0भ्रमण/बरेली/2019–20/3135 दिनांक 26.12.19

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये (विवरण संलग्नक)। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीया,

संलग्नक– यथोक्त।

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एस0एस0भ्रमण/बिजनौर/2019–20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, उ0प्र0।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बरेली, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली, उ0प्र0।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली, उ0प्र0।

(विवके द्विवेद्वी)
महाप्रबन्धक–प्रोक्योरमेंट

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– बरेली।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एस0एस0भ्रमण/बरेली/2019–20/ दिनांक 26.12.19

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये (विवरण संलग्नक)। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कमियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीया,

संलग्नक– यथोक्त।

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/एस0एस0भ्रमण/बिजनौर/2019–20/8135 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक प0क0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, उ0प्र0।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बरेली, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली, उ0प्र0।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली, उ0प्र0।

(विवके द्विवेद्दी)
महाप्रबन्धक–प्रोक्योरमेंट

पद बरेली की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

भ्रमण अवधि– दिनांक 11 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2019

राज्य स्तरीय टीम

1. श्री सौरभ तिवारी, सलाहकार, आर0के0एस0के0।
2. श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, एस.पी.एम.यू.–एन.एच.एम.।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 11–14 दिसम्बर 2019 के मध्य जनपद बरेली का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्कूलों में संचालित आर0के0एस0के0/आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम व सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन, जनपद स्तरीय श्री अम्बरीश कुमार, रीजनल कोआर्डिनेटर, सुश्री संजु कश्यप, आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर एवं अरबन कोआर्डिनेटर के सहयोग से किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
• वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद बरेली में कुल 18 वाहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबंधित किये गये थे किन्तु उक्त वाहनों की उपलब्धता होने के उपरांत भी मानकानुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नही किये जाते पायें गयें।	अवगत कराया गया कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नियमित रूप से सम्पदित किया जाना एवं आख्याएं जल्द अपलोड कराने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित किया।	ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0/जिला कार्यक्रम प्रबंधक इकाई
• जनपद बरेली में कुल 18 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन उपलब्ध हाने के उपरांत माह अप्रैल से नवम्बर 19 तक मानकानुसार 2176 के सापेक्ष मात्र 651 अर्थात 30% भ्रमण आख्या/चेकलिस्ट http://www.upnrhm.gov.in एवं RMNCHA के पोर्टल पर अपलोड है, समस्त अधिकारी/कर्मचारी की भ्रमण आख्या पोर्टल पर अपलोड कराने की आवश्यकता है।		जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की समस्त आख्या/ चेकलिस्ट www.upnrhm.gov.in एवं RMNCHA पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
• मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अनुभाग के एफ0एम0आर0 कोड संख्या A.16.0021-16.1.3.4 Mobility Support BPMU/Block का व्यय नवीन एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.0178 Mobility Support for BPMU/Block में बुक किया पाया गया।	जिला लेखा प्रबंधक को एफ0एम0आर0 कोड की जानकारी देते हुये समस्त व्यय को 16.1.3.4 में बुक कराने को कहा गया।	जिला लेखा प्रबंधक
• जनपद बरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आर. बी. एस. के टीमों द्वारा कार्यालय के अभिलेखों को घरों/वाहनों में रखे जाने का प्रचलन पाया गया, जिसके कारण स्टेट टीम को कोई भी अभिलेख दिखाने में असमर्थतता व्यक्त की गयी।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के स्तर से समस्त प्रभारी को इस आशय से पत्र प्रेषित किया जाना अपेक्षित है कि भविष्य मे ऐसे कृत्यों के विरूद्व नियामनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी।	मुख्य चिकित्साधिकारी
• आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के 04 प्रमुख मद (B.03.0021, A.02.0010, A.02.009 & A.02.002) में ब्लाक स्तर से व्यय न्यूनतम बुक किया गया था जिनमें	बैठक में मद संख्या लिखवाते हुये किये गये व्यय का बुक करने का सुझाव दिया गया साथ ही प्रत्येक	आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर, किशोर स्वास्थ्य

03 मद पियर एजुकेटर ब्लाक में संचालित ए0एच0डी0 कार्यक्रम से सम्बन्धित पाया गया। अन्य 01 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक व आउटरीच एक्टीविटी के मद का पाया गया।	माह काउन्सलर द्वारा किये जा रहे आउटरीच एक्टीविटी का भुगतान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	काउन्सलर, ब्लाक लेखा प्रबंधक
• जनपद में डाटा आडिट की आवश्यकता है। भौतिक आकडों एवं पोर्टल पर अपलोड आकडों में भिन्नता पायी गयी।	ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए। भिन्नता की भी जॉच सुधार करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जनपदीय लेखा प्रबन्धक द्वारा समस्त ब्लाक लेखा प्रबन्धकों को उक्त हेतु सुझाव दिया गया ताकि भिन्नता न आने पायें।
• वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनपद बरेली में जिला स्वास्थ्य समिति की 09 के सापेक्ष **03 कार्यकारी निकाय** एवं 09 के सापेक्ष **04 शासी निकाय** की बैठको के कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड की गयी है। • वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद बरेली में जिला आडिट कमिटी एवं DISHA के कार्यवृत्त पोर्टल पर **शून्य** अपलोड किये गये है।	मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठके की जाती है किन्तु पोर्टल पर अपलोड नही की गयी है तथा जिलाधिकारी महोदय के स्थानानंतरण के कारण कुछ बैठकों के कार्यवृत्त हस्ताक्षर हेतु लम्बित है जो जल्द करा लिये जायेगें। सी0एम0ओ0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा नियमित बैठक कर पोर्टल पर अपलोड कराने का आश्वासन दिया गया।	कार्यवाहक जिला कार्यक्रम प्रबंधक
• विद्यालयों में विपस रजिस्टर उपलब्ध पाये गये। कृमि मुक्ति दिवस एवं मापअप राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित किया गया था एवं रजिस्टर में सही टिक का निशान लगा पाया गया। अध्यापको के अभिमुखिकरण की आवश्यकता है। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत पिंक एवं ब्लू आयरन की गोलियां उपलब्ध पायी गयी किन्तु अभिलेख/रिपोर्ट को अद्यतन करने की आवश्यकता है।	टीम द्वारा प्रभारी अध्यापक को दिशा–निर्देशानुसार कृमि मुक्ति दिवस एवं मापअप दिवस में रजिस्टर पर Single & Double Tick किस प्रकार अंकित करना बताया गया। उक्त हेतु अभिलेखों को अद्यतन किये जाने का सुझाव दिया गया। टीम द्वारा विद्यार्थियों को नियमित रूप से आयरन की गोलियां खिलाने का सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी/ आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/ प्रभारी अध्यापक/ ए0एफ0एच0सी0 परामर्शदाता
• जनपद बरेली में आर0के0एस0के0 कार्यक्रम में जिला आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर एवं आर0के0एस0के0 काउंसलर द्वारा प्रत्येक माह आउटरीच क्लेम करते नही पाया गया।	टीम द्वारा समस्त काउंसलर एवं आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर को प्रत्येक माह आउटरीच के बिल प्रस्तुत कर भुगतान हेतु सुझाव दिया गया।	आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/काउंसलर
• पियर एजूकेटर कार्यक्रम में अन्तर्गत जनपद बरेली में 2264 के सापेक्ष 2251 पियर एवं 566 के सापेक्ष 565 आशाओं का प्रशिक्षण करा लिया गया एवं उक्त की धनराशि बुक करा दी गयी है।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ए0सी0एम0ओ0 महोदय द्वारा आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु बधाई दी गयी तथा उनके द्वारा आर.के.एस.के. कार्यक्रम	जनपदीय लेखा प्रबन्धक

• टीम द्वारा ब्लाक मीरपुर में पीयर से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि जिला आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/काउंसलर द्वारा नियमित आउटरीच के दौरान पीयर का अभिमुखीकरण किया जाता है एवं पीयर द्वारा पीयर डायरी आदि भरी जाती पायी गयी किन्तु पीयर को क्रियाशील होने के लिये प्रतित करने की आवश्यकता है।	में धनराशि बुक न होने की कमी को जल्द दूर करने का एवं 1–2 अक्रियाशील काउंसलर के विरूद्व नियामनुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।	
• कई 102 एम्बुलेन्स व 108 एम्बुलेन्स में हूटर खराब, दवा बी0पी0 मापक यंत्र उपलब्ध नहीं है अथवा अक्रियाशील पाये गये। जनपद में संचालित समस्त 108/102 एम्बुलेन्स में ए0सी0 खराब था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर में उपस्थित एम्बुलेन्स UP41 G 1497 जर्जर स्थिति में भी चलायी जाती पाती गयी। उक्त हेतु दिनांक 4.11.19 को चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रबन्धक जी.बी.के., लखनऊ को इस आशय से पत्र प्रेषित किया गया कि उक्त एम्बुलेन्स को जल्द बदलवाया जाये किन्तु भ्रमण दिनांक तक कोई अग्रेतर कार्यवाही नही हुयी है।	चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा नियमित रुप से एम्बुलेन्स के रखरखाव, औषधियों की उपलब्धता एवं लागबुक की जॉच करायी जाये। जी0वी0के0 ई0एम0आर0आई0 प्रबंधक को पत्र का संज्ञान लेते हुत अग्रम कार्यवाही के लिये महाप्रबंधक ई.एम.टी.एस. द्वारा पत्र प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।	महाप्रबंधक ई0एम0टी0/चिकित्सा अधीक्षक/ई0एम0ई

<u>यू.एच.एन.डी. – जन सेवा अस्पताल मो0 बक्सरिया</u>

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• यू.एच.एन.डी. सत्र प्लान के अनुसार आयोजित किया जा रहा था। • यू.एच.एन.डी. सत्र पर ए.एन.एम. इन्दु वर्मा उपलब्ध उपस्थित थी। • सत्र स्थल क्षेत्र में आशा एवं आगंनवाडी की स्वीकृति न होने के कारण मोबालाइजर गंगोत्री के द्वारा लाभार्थियों को बुलाया जा रहा था। • सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी। • ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी। • हब कटर अक्रियाशील था। • वजन मशीन खराब थी। • हाईट स्केल उपलब्ध नही था। • बी.पी. स्टूमेंट उपलब्ध एवं क्रियाशील था। • ए.एन.एम. के पास आर.सी.एच. रजिस्टर उपलब्ध नही था। • ए.एन.एम. को अपने क्षेत्र के लक्ष्य दम्पत्ति के विषय में नही पता था। • उपयोग में लायी गयी सिंरिज को वापस ले जाने की कोई व्यवस्था नही थी।	• सभी सत्र स्थल पर हब कटर, वजन मशीन, हाईट स्केल एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। • समस्त ए.एन.एम. के द्वारा आर.सी.एच. रजिस्टर पूर्ण रुप से भरा जाय एवं लक्ष्य दम्पत्ति के विषय में और उनको प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्रत्येक ए.एन.एम. को शत प्रतिशत हो। उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, आर.सी.एच./नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. को अवगत कराया गया और पूर्ण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में शहरी स्वास्थ्य समन्वय को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, फरीदपुर–डा वासीद अली, चिकित्सा प्रभारी

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• चिकित्सा इकाई मे गंदगी पायी गयी। जबकि सपोर्ट स्टाफ/सफाई कर्मी तैनात है। उनके द्वारा कार्य में रुचि नही ली जाती एवं कार्य के प्रति उदासीनता प्रकट की जाती पायी गयी।	• उक्त के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही चिकित्सा प्रभारी से अपेक्षित है। कार्य के प्रति उदासीनता प्रकट करने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
• चिकित्साधिकारी द्वारा पी.एन.सी. वार्ड एवं अन्य वार्ड में रंगाई पुताई, एल.ई.डी., ए.सी. का प्रबंध किया गया है और क्रियाशीलता सुनिश्चित की गयी है जो कि सराहनीय है।	•
• इकाई के कैम्पस से रोगीयों के बैठने एवं परिसर में पौधे लाइट एवं अन्य व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है।	•
• चिकित्सा इकाई पहुचने का गली बेहद पतली है एवं मोड पर जो सांकेतक पूर्व में लगाया गया उसके उपर मुक्तिधाम पेंट कर दिया गया है। प्रभारी द्वारा बताया गया कि धार्मिक भावना को आहत न करने के कारण उसको हटाया नही गया। गेट पर मानकानुसार नाम नही अंकित पाया गया। परिसर में पुताई एवं सफाई की आवश्यकता है। • बी0एम0डब्लू नियमित नही आती पायी गयी।	• टीम द्वारा सांकेतक हेतु मोड पर नया बोर्ड लगाने का सुझााव दिया तथा गेट पर मानकानुसार नाम व परिसर की पुताई आदि आर0के0एस0 मद की धनराशि से किये जाने का सुझाव दिया गया। • बी0एम0डब्लू को नियमित आने व अनुबन्ध अनुसार कन्जूयमेबल सामग्री भी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
• आटोक्लेव का नियमानुसार उपयोग नही किया जाता पाया गया। • एन.बी.एस.यू. कक्ष में उपकरण रखे पाये गये एवं एन.बी. एस.यू. अक्रियाशील है। • प्रसव कक्ष में अधिकतर इन्जेकशन/औषधियां इक्सपायरी पाये गये। पानी की समुचित व्यवस्था नही है। • प्रसव कक्ष से समबद्ध बाथरुम बहुत ही ज्यादा गंदी अवस्था में है एवं लगे हुए कमरे में अक्रियाशील उपकरण रखे पाये गये। प्रसव कक्ष के निकट बने स्टोर में रखी अलमीरा में भी इक्सपायरी इन्जेकशन/औषधियां पाये गये। • प्रसव कक्ष में cord tie or clamps में जंग लगा पाया गया, फोकस लाइट, ए.सी., फ्रिज, कैलीसपैड, मेकन्टास, काउच, इत्यादि उपकरण की उपलब्धता नही है। पिछले डेढ साल से कैलीसपैड पंचर की अवस्था में उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त हेतु स्टाफ नर्सो द्वारा इन्डेंट की प्रति भी नही उपलब्ध पायी गयी। • प्रसव कक्ष के द्वार के सम्मुख लगा बिजली का बोर्ड पूर्णताः जला पाया गया तथा बताया गया कि आग लग गयी थी। रेफरल स्लीप एवं चार्ज हैण्डवोवर रजिस्टर उपलब्ध नही है। प्रसव रजिस्टर के रिकार्ड को पूर्ण रुप	• 11 स्टाफ नर्स की तैनाती उपरांत इस प्रकार की दशा से स्पष्ट है कि प्रसव कक्ष, मीनी स्कैल लैब, ए0एन0सी0 वार्ड मे तैनात समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति बेहद उदासीनता प्रकट होती है। उक्त के अतिरिक्त टीम से सम्मुख स्टाफ नर्स द्वारा पूर्णताः असत्य बोला गया कि चेक किया जाता है। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि कैलीसपैड का प्रयोग किया जाता है किन्तु 01 भी सही नही है। • चिकित्सा प्रभारी द्वारा तैनात समस्त फारमेसिस्ट एवं नर्स मेंटर से स्पष्टीकरण अपेक्षित किया गया। • अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के लिये इन्टेड भरवाते हुये तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। • बीजली का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

से नही भरा जा रहा है। • टी.बी. यूनिट में दवायें बिखरी हुई पायी गयी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 12–13 डिफाल्टेर रोगी रह जाते है जो दवा प्रारंम्भ करने के उपरांत छोडकर चले जाते है। • जे.एस.एस.के. प्रोग्राम के अन्तर्गत समुचित डाइट प्रदान नही की जा रही है।	• टी.बी. यूनिट में दवायें सुव्यवस्थित करायी गयी एवं छूटे हुये रोगियों को पुनः दवा प्रारंम्भ करने हेतु सुझाव दिया गया। • जे.एस.एस.के. प्रोग्राम के अन्तर्गत टेण्डर अनुरूप समुचित डाइट देने का सुझाव दिया गया।
• आशा को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि एव दर्ज किये गये रिकार्ड में अन्तर पाया गया। • आशाओं के पेमेण्ट से सम्बधिंत रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे हैं। • कर्मचारियों को रोगी कल्याण समिति के दिशा–निर्देश एवं होने वाली बैठकों के विषय में कोई जानकारी नही है। रोगी कल्याण समिति के रजिस्टर एवं उक्त बैठकों के रजिस्टर नही बने पाये गये। • डाटा वेलिडेशन कमिटी का गठन नही हुआ पाया गया एवं न ही अभिलेख उपलब्ध पाये गये।	• डाटा वेलिडेशन कमिटी की नियमित बैठक सम्पादित करते हुये समस्त अभिलेख अद्यतन किये जाने का सुझाव दिया गया। • बी0पी0एम0यू0 के कर्मचारियों को आर0के0एस0 संबंधित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराते हुये अभिमुखीकरण किया गया। तत्काल समस्त अभिलेखों को बनाते हुये अद्यतन किये जाने का सुझाव दिया गया।
• आर0बी0एस0के0 टीम – बी में कुल 04 अधिकारी/कर्मचारी तैनात पाये गये – डा.अतुल, 01 Physiotherapist, 01 आयुष चिकित्सक, 01 स्टाफ नर्स। उक्त टीम के पास कोई भी अभिलेख उपस्थित नही पाये गये। • वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त समस्त अभिलेख वाहन संख्या UP 25 CE 7028 जो उनकों आवंटित की गयी है उसमें है। उनके द्वारा जटील रोगी बच्चों को को सन्दर्भित किये जाने पर उनको न तो प्रमुखता प्रदान की जाती एवं चिकित्सकों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है जिससे बच्चे जाना नही चाहतें। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 03 गम्भीर शिशुओं का इलाज कराया जा चुका है।	• समस्त टीम को निर्देशित किया गया कि समस्त अभिलेख प्रत्येक दशा में चिकित्सालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। • उक्त के क्रम में उनके द्वारा नोडल अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उक्त कार्य को सम्पादित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही जनपद सहारनपुर जहां आर0बी0एस0के0 द्वारा कयी ह्रदय रोगी बच्चो का इलाज फोर्टिस अस्पताल में कराया गया उनसे सम्पर्क स्थापित करने का सुझाव दिया गया।
• स्टोर में बेहद गलत तरीके से औषधियां रखी पायी गयी एवं कुछ इक्सपायरी भी पायी गयी। डिप फ्रिजेर में मानकानुसार इंजैक्शन नही रखे पाये गये। कही भी लेबलिंग नही पायी गयी।	• सायं 04 बजे तक कुल चार फारमेसिस्टों में मात्र श्री देशदीप शुक्ला एवं श्रीमती इरम जहां उपस्थित रही बाकी दोनो घर चले गये। उक्त दोनो के विरूद्व नियामनुसार कार्यवाही अपेक्षित है। समस्त अभिलेखों को अद्यतन एवं औषधियों को सुव्यवस्थित कराया गया।
• अर्श क्लीनिक में श्रीमती रूचि जयसवाल, काउन्सलर आउटरीच पर गयी हुयी थी। उनके कक्ष में पार्टिशन करके एक आपरेटर भी बैठती है। जबकि नियमानुसार दोनो में प्राइवेसी अत्यंत आवश्यक है।	• नियमानुसार दोनो को अलग अलग कक्ष में बैठने की आवश्यकता है। परिसर में कक्ष की कमी के कारण यदि उपलब्धता सुनिश्चित न हो सके तो आर0के0एस0 अथवा 1.3.1.6XXXXXX*AH/ RKSK Clinics मद से दोनो परामर्शदाताओं के मध्य पूर्ण प्राइवेसी की जा सकती है।

मॉडल पी.एस मौहम्मदपुर जतन, भौजीपुरा, बरेली विद्यालय–	
पर्यवेक्षण के बिन्दु	**की गयी कार्यवाही**
• स्कूल में श्रीमती प्रियंका शर्मा, सह–प्रधानाचार्या पद पर तैनात मिली कुल 122 विद्यार्थी पंजीकृत पाये गये। विपस कार्यक्रम संचालित पाया गया। संबंधित आई0ई0सी0 कालेज में नही पायी गयी। विपस के प्रपत्र भरे जाते पाये गयें। • कृमि मुक्ति दिवस का अयोजन किया गया था एवं आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता पाया गया। • आपातकालीन स्थिति हेतु कोई भी सम्पर्क नम्बर विद्यालय में उपलब्ध नही पाया गया।	• आर0के0एस0के0 काआर्डिनेटर व काउन्सलर से तत्काल उक्त क्षेत्र में संचालित स्कूलो/कालेजो की सूची तैयार कर आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। तैनात शिक्षकों को टीम द्वारा अभिमुखीकरण किया गया एवं उक्त विषयों में जानकारी बढाने का सुझाव दिया गया। • टीम द्वारा बच्चों से हुयी वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि बच्चों को कार्यक्रम का ज्ञान है। • टीम द्वारा निकटवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी का नम्बर वाल रायटिंग के माध्यम से लिखवाने का सुझाव दिया।
अर्श क्लीनिक–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरपुर, ब्लाक मीरपुर	
• अर्श क्लीनिक में श्री विवेकानन्द काउंसलर के पद पर तैनात मिले। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डा0 अमीत कुमार प्रभारी चिकित्सा के पद पर तैनात है किन्तु भ्रमण दिनांक कोर्ट केस होने के कारण उपस्थित नही पाये गये। काउंसलर का कार्य सराहनीय पाया गया किन्तु क्लीनिक का स्थान बेहद कम पाया गया। • क्लीनिक में वेट मशीन एवं हाईट नापने हेतु उपकरण अक्रियाशील/अनुपलब्ध पाया गया।	• क्लीनिक को ओ0पी0डी0 के निकट स्थापित करने हेतु टीम द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से वार्ता उपरांत कक्ष संख्या 11 मे ओ0पी0डी0 के समक्ष स्थापित किया गया। • आवश्यक उपकरण एवं प्रिंटर हेतु अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है।
पियर एजूकेटर के साथ बैठक, फरारौ गांव, ब्लाक मीरपुर	
• श्री सोमेन्द्र (15 वर्ष), श्री माधव (15 वर्ष), सुश्री कुशुम (18 वर्ष) एवं सुश्री धर्मश्री (16 वर्ष) पीयर एजुकेटरों से टीम द्वारा भेट की गयी।	• टीम द्वारा विद्यार्थियों का अमुखीकरण किया गया साथ ही सुझाव दिया गया कि जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 काआर्डिनेटर व काउन्सलर नियमित भ्रमण करना सुनिश्चित करें।
• पियर एजूकेटर कार्यक्रम में अन्तर्गत जनपद बरेली में 2264 के सापेक्ष 2251 पियर एवं 566 के सापेक्ष 565 आशाओं का प्रशिक्षण करा लिया गया एवं उक्त की धनराशि बुक करा दी गयी है। • टीम द्वारा ब्लाक मीरपुर में पीयर से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि जिला आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर/काउंसलर द्वारा नियमित आउटरीच के दौरान पीयर का अभिमुखीकरण किया जाता है एवं पीयर द्वारा पीयर डायरी आदि भरी जाती पायी गयी किन्तु पीयर को क्रियाशील होने के लिये प्रतित करने की आवश्यकता है।	• मुख्य चिकित्साधिकारी एवं ए0सी0एम0ओ0 महोदय द्वारा आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु बधाई दी गयी तथा उनके द्वारा आर.के.एस.के. कार्यक्रम में धनराशि बुक न होने की कमी को जल्द दूर करने का एवं 1–2 अक्रियाशील काउंसलर के विरूद्व नियामनुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, बहेड़ी

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
• चिकित्सा इकाई मे स्थान की बेहद कमी पायी गयी। गेट पर मानकानुसार नाम नही अंकित पाया गया। परिसर में पुताई एवं सफाई की आवश्यकता है। • बी0एम0डब्लू नियमित नही आती पायी गयी।	• गेट पर मानकानुसार नाम व परिसर की पुताई आदि आर0के0एस0 मद की धनराशि से किये जाने का सुझाव दिया गया। • बी0एम0डब्लू को नियमित आने व अनुबन्ध अनुसार कन्जूयमेबल सामग्री भी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।
• आशा को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि एव ंबी.सी. पी.एम. द्वारा दर्ज किये गये रिकार्ड में अन्तर पाया गया। • बी.सी.पी.एम. द्वारा आशाओं के पेमेण्ट से सम्बधिंत रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे हैं। • बी.सी.पी.एम. को रोगी कल्याण समिति के दिशा–निर्देश एवं होने वाली बैठकों के विषय में कोई जानकारी नही है। • डाटा वेलिडेशन कमिटी के निर्मित होने की जानकारी प्राप्त हुयी किन्तु नियमित बैठक सम्पादित नही की जाती पायी गयी एवं न ही अभिलेख उपलब्ध पाये गये।	• डाटा वेलिडेशन कमिटी की नियमित बैठक सम्पादित करते हुये समस्त अभिलेख अद्यतन किये जाने का सुझाव दिया गया। • बी0पी0एम0यू0 के कर्मचारियों को आर0के0एस0 संबंधित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराते हुये अभिमुखीकरण किया गया।
• अर्श क्लीनिक में तैनात श्रीमती शालीनी सक्सेना, अर्श काउन्सलर आउटरीच पर गयी हुयी पायी गयी। चिकित्सालय में आयरन की 3 लाख टेबलेट माह अगस्त 2019 से स्टोर पर रखी पायी गयी जबकि नियमानुसार आयरन की टेबलेट को प्राथमिक विद्यालय में पहुचाना आवश्यक था। अर्श क्लीनिक में गंदगी पायी गयी एवं मानकानुसार उपकरण व आई0ई0सी0 उपलब्ध नही पायी गयी। • अर्श क्लीनिक में रक्तचाप यंत्र अक्रियाशील पाया गया। • आउटरीच एक्टीविटी का रिकार्ड उपलब्ध नही पाया गया। • माइक्रो प्लान अनुपलब्ध पाया गया।	• टीम द्वारा तुरत टेबलेट प्राथमिक विद्यालयों को भेजा जाना सुनिश्चित किया गया तथा प्रभारी चिकित्सालय द्वारा काउन्सलर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना एवं काउन्सलर द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।
• औषधि का रख रखाव और रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।	• मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व उनके द्वारा इकाई पर भ्रमण कर इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, इससे प्रतीत होता है कि इकाई पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।
• प्रसव कक्ष में इक्सपायरी दवायें पायी गयी।	• चिकित्सा प्रभारी द्वारा तैनात समस्त स्टाफ नर्स एवं नर्स मेंटर से स्पष्टीकरण अपेक्षित किया गया।
• इकाई पर आर.के.एस., जे.एस.एस.के., केस शीट, मातृ मृत्यु इत्यादि रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये। • इकाई पर डाटा वेलिडेशन कमेटी नही बनायी गयी है और न ही डाटा को वेलिडेट किया जा रहा है।	• तत्काल सम्बन्धित को निर्देशित करके सभी रिकार्ड को पूर्ण कराने एवं रिकार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

जिला महिला चिकित्सालय बदायूं–

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• वार्ड से सम्बन्धित वाथरुम में लगा हुआ टैब अक्रियाशील पाया गया।	• अधीक्षका महोदय से इसको ठीक कराने का अनुरोध किया गया।
• वाथरुम में लगे हुआ Exhaust Fan क्रियाशील नही था।	
• प्राइवेट वार्ड में कन्डम वेड रखें हुये थे। • वाथरुम में यूरिन बैग रखे हुये पाये गये।	• कन्डम सामान की लाइन लिस्टिंग कराने एवं उपयुक्त स्थान पर रखने हेतु सुझाव दिया गया।
• प्राइवेट वार्ड को स्टोर के रुप में उपयोग में लाया जा रहा था।	• प्राइवेट रुम को खाली कराते हुये व्यवस्थित कराया जाना है।
• सफाई कर्मियों के द्वारा अपने सामान सभी वाथरुम एवं वार्डों में रखे हुये पाये गये और इस हेतु कोई एक निश्चित स्थान की व्यवस्था नही की गयी थी।	• सफाई कर्मियों द्वारा अपने सामान को एक जगह रखना और सफाई ठीक से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• आपरेशन थ्रियेटर – • माह दिसम्बर, 2019 की एक्सपायरी दवायें रखी हुई पायी गयी एवं इस सम्बन्ध में स्टाफ को भी अद्यतन स्थिति की जानकारी नही थी और न ही रिकार्ड उपस्थित था। • ओ.टी. में मरीजों हेतु बना टायलेट ब्लाक था। • नसबन्दी से सम्बन्धित केसों का फालोअप नही किया जा रहा था।	• सम्बन्धित के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। • टायलेट को ठीक कराया जाय। • समस्त केसों का फालोअप सुनिश्चित करते हुये उनको रिकार्ड में दर्ज किया जाय।
• लेबर रुम – • आटोक्लेव रजिस्टर 27.11.2019 के बाद भरा नही गया था। • लेबर रुम में एक्सपायरी दवायें पायी गयी। • जे.एस.एस.के. डाइट नियमानुसार नही दी जा रही थी खाने में केवल दाल एवं रोटी दी जा रही थी।	• इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
• एस.एन.सी.यू. हेतु प्रदत्त फ्रीज में ब्लड बैग रखे हुये थे।	•
• इकाई पर प्रसव उपरान्त भर्ती लाभार्थियों से मौखिक वार्ता की गयी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्रसव हेतु ले आने हेतु एम्बुलेंस चालके द्वारा पैसे लिये गये – 1. प्रिती पत्नी सरवन, ग्राम – कान्देपुर, बरेली सी.एच.सी. क्यारा से जिला महिला अस्पताल लाया गया दिनांक 11.12.2019 सुबह 05.00 बजे। चालक एवं ई.एम.टी. द्वारा रु0 60/– लिये गये। 2. सीमा पत्नी सूरज ग्राम सीबीगंज, घर से जिला महिला चिकित्सालय लाया गया दिनांक 11.12.2019 सुबह 04. 00 बजे। चालक एवं ई.एम.टी. द्वारा रु0 100/– लिये गये।	• इस सम्बन्ध में सी.एम.एस. एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

• इकाई पर प्रसव उपरान्त भर्ती लाभार्थियों से मौखिक वार्ता की गयी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्रसव हेतु तैनात स्टाफ द्वारा रु0 1100/– लिये गये – 1. प्रिती पत्नी सरवन, ग्राम – कान्देपुर, बरेली। 2. सीमा पत्नी सूरज ग्राम सीबीगंज।	• इस सम्बन्ध में सी.एम.एस. एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिससे इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–गंगापुरम

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों गंगापुरम को ई–नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है।	•
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लैब में सिंक की व्यवस्था नही थी।	• नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से वार्ता कर सिंक की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
• पैथोलॉजी में की जाने वाले जॉचों को प्रदर्शित नही किया गया था।	• इकाई पर की जाने वाली जॉचों को प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरुप उपकरण नही पाये गये जैसे –Stretcher, Fire extinguisher, Condom Box, Oxygen cylinder, Examination Table, Tray, Delivery Kit, Macintosh, Foot Step, digital clock with temperature, Side Screen, Thermometer, etc.	• राज्य स्तर से प्रेषित दिशा – निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरण की उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने हेतु नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से अनुरोध किया गया।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार आई. ई.सी. का प्रदर्शन नही किया गया है।	• मानकानुसार आई.ई.सी. को प्रदर्शित कराये जाने हेतु सझाव दिया गया।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्स को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में नही पता था।	• इस हेतु 01 दिवसीय कार्याशाला का आयोजन करते हुये सभी स्टाफ नर्सों एवं ए.एन.एम. को प्रशिक्षित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
• रोगी कल्याण समिति की बैठक के रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।	• इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वय के साथ वार्ता करते हुये तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्सों के द्वारा आई.यू.सी.डी. लगाया जा रहा है एवं डिलीवरी करायी जा रही है।	• इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. से वार्ता कर बताया गया कि डिलीवरी केवल एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्टाफ नर्स से ही करायी जाय अथवा एम.बी. बी.एस. चिकित्सक की उपस्थिति में प्रसव प्रक्रिया पूर्ण की जाय। साथ ही इकाई पर प्रसव कराने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि इकाई पर प्रसव में उपयोग आने वाले समस्त उपकरण उपलब्ध हो। • आई.यू.सी.डी. लगाने से पूर्व सभी उपकरणों को स्टेलाइज किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

• ई– नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डिस्प्ले सिस्टम काम नही कर रहा था।	• इस सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि ई–यू.पी.एच.सी. प्रोजेक्ट में कोई भी समस्या आने पर उसका कम्प्लेन टोल फ्री नं. 18001030365 पर किया जाय।
• ई– नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 40 मरीज देखे गये थे जिसमें से केवल 06 मरीजों का आनलाइन रजिस्टेशन किया गया था।	• शतप्रतिशत मरीजों को आनलाइन रजिस्टेशन सुनिश्चित किया जाय।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरुप प्रिन्टेड रजिस्टर उपलब्ध नही पाये गये और न ही समस्त रिकार्ड पूर्ण थे जैसे– डिलीवरी रजिस्टर, रेफरल स्लीप, केस शीट, इत्यादि	• सभी रिकार्ड की उपलब्धता जनपद स्तर से सुनिश्चित की जाय साथ समस्त रिकार्ड इकाई पर चिकित्साधिकारी के द्वारा समय समय पर सत्यापित की जाय।
• आई0यू0सी0डी0,अन्तरा एवं ए0एन0सी0 लाभार्थियों का फालोअप नहीं हो रहा है।	• प्रत्येक लाभार्थियों का फालोअप सम्बन्धित स्टाफ के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं 10 प्रतिशत डाटा का चिकित्साधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन किया जाय।
• समस्त स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति शत प्रतिशत सुबह/शाम को किया जाना है, जोकि वर्तमान में नही हो रही है।	• समस्त स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाय।
• इकाई पर प्रयोग में लायी जा रही बैट्री सूखी पडी हुई पायी गयी।	• बैट्री का रख रखाव सही ढ़ग से किये जाने एवं 01 और इर्न्वटर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।
• आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव का रिकार्ड नही बनाया जा रहा है।	• आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव का रिकार्ड बनाना/पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही आक्सीजन सिलेण्डर एवं आटोक्लेव के उपयोग हेतु समस्त स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षित किया जाय।
• कलर कोडेड बिंस की उपलब्धता एवं उसके उपयोग के विषय में समस्त स्टाफ को जानकारी का अभाव पाया गया।	• इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना एवं प्रोटोकॉल प्रदर्शित किया जाना है।
• ए.एन.सी. रजिस्टर एवं लैब में की जाने वाली जॉचों का रिकार्ड में भिन्नता पायी गयी। जोकि स्टाफ के कार्यो की लापरवाही को दर्शाता है।	• ए.एन.सी. रजिस्टर एवं लैब में की जाने वाली जॉचों का रिकार्ड को सही तरीके से भरा जाय एवं चिकित्साधिकारी द्वारा समय समय पर इसका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
• ए.एन.एम. के द्वारा सम्बन्धित इकाई पर रिपोर्टिग नही की जा रही है और ना ही ए.एन.एम. एवं आशाओं की मासिक बैठक आयोजित की जा रही है।	• ए.एन.एम. के द्वारा सम्बन्धित इकाई पर रिपोर्टिग एवं ए.एन.एम. एवं आशाओं की मासिक बैठक इकाईवार आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन नही किया गया है।	• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन कराना एवं समस्त डाटा का वेलिडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वय के द्वारा इसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

	इसका अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
अन्य बिन्दु	
• जनपद में तैनात समस्त ए.एन.एम. को मानकानुसार क्षेत्र का निर्धारण नही किया गया था।	• इस सम्बन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के पत्र संख्या – मु0चि0अ0/एन0यू0एच0एम0/ए0एन0एम0/क्षे0आ0/2019–20/4096 दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से क्षेत्र का आंवटन किया गया है। मुख्य चिकित्साधिरी द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
• जनपद बरेली में 50 स्टाफ नर्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है, परन्तु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वालीनगर, बहेडी में वर्तमान में कोई भी स्टाफ नर्स कार्यरत नही है और इकाई हजियापुर एवं जाटवपुरा में 03–03 स्टाफ नर्स कार्यरत है।	• समस्त इकाईयों पर वर्तमान में तैनात स्टाफ के अनुसार इकाईयों पर स्टाफ की उपलब्धता एवं एन.यू. एच.एम. के अन्तर्गत तैनात समस्त स्टाफ को एन.यू. एच.एम. के अन्तर्गत ही तैनाती सुनिश्चित की जाय।
• जनपद में कुल 21 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, परन्तु वर्तमान में 07 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति के खाते नही खोले गये हैं।	• 07 इकाईयों के रोगी कल्याण समिति के खाते 15 दिवस के अन्दर खुलवाये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. से अनुरोध किया गया।
• उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि एन.यू.एच.एम. अनुभाग द्वारा इकाई का भ्रमण नही किया जा रहा है या कार्यक्रम को गम्भीरता के साथ नही लिया जा रहा है। साथ ही एन.यू.एच.एम. अनुभाग में कार्यरत कर्मियों को निर्देशित किया गया कि सभी इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम के सहयोग से समस्त कमियों का निराकरण लाते हुये कार्यक्रम में गति प्रदान कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एन.यू. एच.एम. अनुभाग द्वारा एन.यू.एच.एम. कार्यक्रम में उपलब्ध वाहन से मासिक कार्यक्रम का संज्ञान लेते हुये भ्रमण करना एवं भ्रमण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन का भ्रमण के विस्तृत विवरण को अंकित किया जाय।	

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम.
एस.पी.एम.यू., लखनऊ

(सौरभ तिवारी)
परामर्शदाता, एन.एच.एम.
एस.पी.एम.यू., लखनऊ

108 / 102

यू.एच.एन.डी. – जन सेवा अस्पताल मो0 बक्सरिया

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, फरीदपुर–डा वासीद अली, चिकित्सा प्रभारी

मॉडल पी.एस मौहम्मदपुर जतन, भौजीपुरा, बरेली विद्यालय–

अर्श क्लीनिक–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मीरपुर, ब्लाक मीरपुर

पियर एजूकेटर के साथ बैठक, फरारौ गांव, ब्लाक मीरपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, बहेड़ी

जिला महिला चिकित्सालय बदायूं–